HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15339/2026
CNR: RJHC020942682026 | URN: CRLMB / 28338U / 2026

Gajraj @ Gajju S/o Gangadhar, Aged About 29 Years, R/o Milakpur Gurjar, Police Station Phoolbagh Bhiwadi, District Khairthal-Tijara. (Presently Confined At Sub Jail Kishangarh Bas).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Deepesh Kumar Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/11/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र **पुलिस थाना–शेखपुर अहीर जिला–भिवाड़ी** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **133/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम व धारा 112(2) (बी), 111(3), 111(4) बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम व धारा 112(2) (बी), 111(3), 111(4) बी.एन.एस. का अभियोग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित करना नहीं बताया गया है। घटना के समय वह तो अन्य अभियुक्तगण के साथ वाहन में बैठकर जा रहा था तथा उसे वाहन में जाते हुए को पकड़ा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में जो आपराधिक प्रकरण प्रकरण दर्ज

होना बताये गये हैं, उनमें से छह मामलों में वह दोषमुक्त घोषित हो चुका है। उनका तर्क है कि प्रकरण के सहअभियुक्तगण आशीष कुमार उर्फ मोनू व शहजाद को पूर्व में जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 6.6.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से बिना लाईसेंसी एक देशी पिस्टल व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। उसके विरूद्ध पूर्व के लगभग 24 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जो गंभीर अपराधों से सम्बन्धित हैं। उनका तर्क है कि जिन सहअभियुक्तगण को पूर्व जमानत पर मुक्त किया गया है, उनके विरूद्ध इतने आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं थे। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उनसे भिन्न है। गंभीर अपराध है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेप है कि पुलिस गश्त के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त की गतिविधि संदिग्ध होने पर उसे सहअभियुक्तगण आशीष व शहजाद के साथ पकडा गया तो उसे मौके पर ही उसे हार्डकोर अपराधी के रूप में पहचान कर उसकी तलाशी ली गई तो उसके आधिपत्य से बिना लाईसेंसी एक देशी पिस्टल व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के 24 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाये गये हैं, जो अधिकतर पुलिस थाना–भिवाडी में तथा अन्य कुछ प्रकरण मॉडल टाउन, रेवाडी जिला–हरियाणा व तावडू जिला–नूंह हरियाणा में दर्ज होना प्रकट हुए है। यह सभी मामले धारा 147, 148, 149, 332, 323, 307, 387, 452, 392, 382, 397, 120–बी, 302, 399, 401, 427 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5/27 आर्म्स एक्ट, 421 कारागृह अधिनियम आदि अपराधों से सम्बन्धित है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व में मारपीट, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त होना पाया गया है तथा **उसका आदतन अपराधी**

होना प्रकट हुआ है। उसने यह अपराध वर्ष 2015 से 2026 तक निरन्तर किए हैं। इससे प्रतीत हो रहा है कि **प्रार्थी/अभियुक्त ने हर बार जमानत पर छूटने के बाद जमानत की सुविधा का दुरूपयोग किया है व अपराध कारित किए है।** जहां तक सहअभियुक्तगण को पूर्व जमानत पर मुक्त किए जाने का प्रश्न है, दोनों सहअभियुतगण आशीष व सहजाद के विरूद्ध इतने आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाये गये थे तथा इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उनसे भिन्न है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/28/JITENDRA SINGH PANWAR